भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
WP&P Coordination Directorate

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Gopal Prasad, H No -210. Gali No -03 Pal Mohalla, Near Mohan Baba Mandir, Mandavali delhi - 110032 का RTI क्रं CWCND/R/T/23/00106 दिनांक 14-06-2023, CWCND/R/T/23/00110 दिनांक 19-06-2023, PLCOM/R/P/23/00039 दिनांक 12/06/2023 और शून्य दिनांक: 05/06/2023, और CWCND/R/T/23/00122 दिनांक 07/07/23 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध मे।
(Information sought under RTI Act by Shri Gopal Prasad, H No -210. Gali No -03 Pal Mohalla, Near Mohan Baba Mandir, Mandavali delhi - 110032 vide RTI application No. CWCND/R/T/23/00106 dated 14-06-2023 CWCND/R/T/23/00110 dated 19-06-2023, PLCOM/R/P/23/00039 dated 12/06/2023 and Nil dated: 05/06/2023 and CWCND/R/T/23/00122 Dated 07/07/23–reg)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से पत्रांक. A-49012/8/2023/RTI/889-90 दिनांक:15-06-2023, . A-49012/8/2023/RTI/914-16 दिनांक:22-06-2023, 'A-49012/8/2023/3RTI/953-55 दिनांक 28/06/2023, A-49012/8/2023/RTI/1027-29 दिनांक 07/07/2023 और A-49012/8/2023/RTI/1068-70 दिनांक 10/07/2023 द्वारा स्थानांतरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 15-06-2023 को प्राप्त उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सूचना का विषय केन्द्रीय जल आयोग के जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध से संबन्धित न होने के कारण केन्द्रीय जल आयोग के जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

[With reference to above captioned RTI Application, which was transferred to this office from Under Secretary & Nodal officer, RTI Cell, CWC, New Delhi on 15-06-2023, vide letter no. A-49012/8/2023/RTI/889-90 Dated: 15-06-2023, A-49012/8/2023/RTI/914-16 Dated:22-06-2023, 'A-49012/8/2023/3RTI/953-55 Dated 28/06/2023 and A-49012/8/2023/RTI/1027-29 Dated 07/07/2023 A-49012/8/2023/RTI/1068-70 Dated 10/07/2023

it is to inform that the information available in WP&P Wing of CWC, is provided as below:]

क्रं.सं	वांछित सूचना/ information Requested	उपलब्ध सूचना/ Available information
1.	पानी के वस्तु अथवा जीवन तत्व होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 1 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**
2.	यदि पानी जीवन तत्व है तो जीवन तत्व का व्यवसाय होने की वैधानिकता के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।	क्रं.सं 2 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**
3.	जिस पृथ्वी का तीन चौथाई हिस्सा पानी से है वहा पर पानी का अभाव होने अथवा नहीं होने के स्पष्ट जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 3 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**
4.	जब पानी का निर्माण नहीं किया जा सकता है तो सरकार कंपनियां, संस्थाएं पानी जिस अधिकार से जिस कानून के तहत दे रही है के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। (जबकि उसने पानी का निर्माण ही नहीं किया तो उसका व्यवसाय का आधार सहित)	क्रं.सं 4 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**
5.	जिस प्रकृति ने पानी का निर्माण किया वही पानी का मालिक हो सकता है। प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से ही सृष्टि का निर्माण होने एवं प्रकृति में इन पांचों तत्वों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण इन पांच तत्वों को उसी प्रारूप में ग्रहण करने की स्थिति मेंप्रकृति के बजाय सरकार या कंपनियों को पानी का मालिकाना हक और अधिकार की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 5 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**
6.	पानी का मालिक प्रकृति है और सरकार एक न्यासी अथवा ट्रस्टी है जिसका कार्य होता है। जिस उद्देश्य के लिए न्यास का गठन हुआ है उसे प्राप्त करना।" प्रकृति	क्रं.सं 6 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए।**

	ने प्राणी मात्र के लिए पानी बनाया और प्रकृति ने अपने संविधान में यह व्यवस्था दी कि यह जो पानी है यह प्राणी मात्र के लिए है और मेरे बाद प्राणी मात्र ही इसके मालिक अथवा अधिकारी होंगे। जिस जनता ने अपने लिए जिस सरकार का गठन किया उसका प्रथम दायित्व है कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए एक न्यासी के रूप में हर प्राणी मात्र को पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसकी गारंटी देने हेतु वर्तमान केंद्र सरकार के समस्त प्रयास एवं वर्तमान स्थिति के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।	
7.	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार" में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार को प्राणी मात्र के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। न्यायपालिका के अनेक फैसले से इस बात की पुष्टि होने के बावजूद आजतक देश के अधिकांश नागरिक एवं अन्य प्राणी के इस मूल भूत अधिकार से वंचित होने के कारण के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 7 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए ।**
8.	पहले पानी के संरक्षण हेतु कुएं तालाब, बावली आदि होते थे, जो वर्षा के जल का संरक्षण प्राकृतिक तरीके से करते थे परंतु आज अंधाधुंध औद्योगीकरण व व्यवसायीकरण के कारण इन सबको समाप्त कर देने से वर्षा का जल बहकर वापस समुद्र में जाने से रोकने एवं जलाभाव की आपूर्ति हेतु जलसंचयन एवं संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में केंद्र सरकार के समस्त प्रयासों वर्तमान स्थिति एवं इससे संबंधित समस्त रिपोर्टों के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	**Specific information is not available in PPO, CWC.** However, in this regard it is to intimate that water resources projects are planned, funded, executed and maintained by State Government themselves as per their own resources and priorities. Role of Government of India is limited to being catalytic, providing technical support and, in some cases partial financial assistance in terms with the existing schemes. Government of India has taken several initiatives for conservation of water and increasing the

		availability to all forms of life. Details of schemes/programmes of Ministry of Jal Shakti are available on website https://jalshakti-dowr.gov.in/schemes-programmes/ Out of the several schemes, PPO, CWC is dealing with three schemes, namely (i) Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water Bodies; (ii)Surface Minor Irrigation (SMI) schemes; and (iii) National Projects. The details are as below. **Repair, Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies** Government of India launched a pilot scheme for "Repair, Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies directly linked to Agriculture" during January, 2005. The scheme continued during the years. However, during 2015-2016, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) was launched with the aim to enhance physical access of water on farm and expand cultivable area under assured irrigation, improve on farm water-use efficiency, etc. Har Khet Ko Pani (HKKP) is one of the components of PMKSY. The scheme of RRR of Water Bodies has becomea part of PMKSY-HKKP. Key objective of the scheme includes Comprehensive improvement and restoration of water bodies, including protection works to avoid encroachment thereby increasing tank storage capacity. During 2021-26, RRR of Water Bodies scheme targets to create irrigation potential of 0.9 lakh

		hectare. **Surface Minor Irrigation (SMI)** Surface Minor Irrigation (SMI) component targeting to provide financial assistance to the identified minor irrigation (irrigation potential less than 2,000 hectare) projects using surface water, was included under Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) since 1999-2000 for special category States. Subsequently the scheme was extended to cover other special areas, namely, drought prone area programme (DPAP), tribal, desert development programme (DDP), flood prone, left wing extremism affected and Koraput, Bolangir and Kalahandi (KBK) region of Odisha. Main objective of SMI schemes is to expand cultivable area under assured irrigation. Presently this scheme is also part of PMKSY-HKKP. During 2021-26, SMI schemes targets to create irrigation potential of 3.6 lakh hectare. **National Projects** Government of India approved a scheme of National Projects for implementation during XI Plan with a view to expedite completion of identified National Projects for the benefit of the people. National projects are provided financial assistance for cost of irrigation & drinking water component in the form of central grant. The Government of India initially declared 14 projects as National Projects in February, 2008. Later, Cabinet Committee on Infrastructure approved inclusion of Saryu Nahar Pariyojana, UP in the scheme of National Project on 3rd August, 2012. Further, Govt. of India under Section 90 of ‘Andhra Pradesh Re-Organization Act’ dated

		01.03.2014, declared Polavaram Irrigation Project as 'National Project'. Scheme of National Projects are either funded under umbrella scheme of PMKSY or as per specific direction as per cabinet note / act.
9.	केंद्र सरकार द्वारा मूलभूत दायित्वों का निर्वाह करते हुए नियमानुसार प्राणी मात्र को स्वच्छ साफ व पौने योग्य पानी निशुल्क उपलब्ध कराने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 9 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए** ।
10.	निर्बाध जला पूर्ति एवं सभी को जलापूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने में पानी का अभाव होने अथवा जलप्रबंधन की कमी होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 10 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए** ।
11.	पेड़ पौधे पशु-पक्षी जब पानी खरीद ही नहीं सकते हैं तो ऐसे ही स्थिति में जल की अनुपलब्धता के कारण उसकी मृत्यु होने पर सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने एवं इसके निवेदन के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।	क्रं.सं 11 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए** ।
12.	प्राणदायी ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा तो ऐसी स्थिति ने ऑक्सीजन देने वाले पेड़-पौधे को पानी आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना पानी का व्यवसाय करना अपराध होने अथवा नहीं होने के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 12 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए** ।
13.	राष्ट्रीय जल नीति में जलाधिकार पानी के व्यवसायीकरण एवं निजीकरण के संबंध में जलशक्ति मंत्रालय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, नीति आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय आदि नीतिनिर्धारकों द्वारा तय की गई नीति	National Water Policy 2012 निम्नलिखित web link पर उपलब्ध है : https://nwm.gov.in/sites/default/files/national%20water%20policy%202012_0.pdf

	नियमावली के जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	
14.	प्रमुख गैर सरकारी संस्था "जलाधिकार फाउंडेशन" द्वारा वर्ष 2012 से 2023 की अवधि मैं पानी से संबंधित मुद्दों पर जनजागरण (सेमिनार वादविवाद प्रतियोगिता समूह में चर्चा, नुक्कड़ नाटक पदयात्रा विचारगोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, जल उपवास जल अदालतेआदि) का संपूर्ण देश में समाज के विभिन्न वर्गो (महाविद्यालय के छात्र प्राध्यापक. आर डब्ल्यू ए निवासी अधिवक्ता आदि) एवं दिल्ली एन सी आर क्षेत्र के 125 स्कूलों के लगभग 15000 विद्यार्थियों शिक्षक, अभिभावकों द्वारा "मेरा पानी मेरा पोस्टकार्ड" अभियान चलाकर समाज को जागृत करने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजे गए ज्ञापन के संबंध में जलशक्ति मंत्रालय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड नीति आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।	क्रं.सं 14 **के संबंध में** WP&P **स्कन्ध से सूचना शून्य समझी जाए** ।

यदि आप इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी/जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं जिसका पता नीचे दिया गया है।

[In case you are not satisfied with the information/ reply provided by this office, you may directly prefer an appeal within 30 days from the receipt of this letter to the first appellate authority whose address is given as under.]

Designation & address of First Appellate Authority in respect of WP&P wing of CWC	Chief Engineer (PAO), Central Water Commission, 7th Floor (S), Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi – 110066. ☎:011-26103561. 🖂: ceprjap@nic.in

निदेशक Director

ज.आ.एवंप. स.नि. तथामुख्यजनसूचनाअधिकारी WP&P (C) & CPIO

To,

1. Shri Gopal Prasad, H No -210. Gali No -03 Pal Mohalla, Near Mohan Baba Mandir, Mandavali delhi - 110032,
2. Under Secretary and Nodal Officer, RTI Cell with reference to letter No A-49012/8/2023/RTI/889-90 Dated:15-06-2023 for kind information and further necessary action please

(Applicant may find the RTI reply correspondence at http://cwc.gov.in/rti-reply)

तृतीय तल (द0), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम
नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011 29583225 , फैक्स : 011 29583209
ई मेल: wppcdte@nic.in

3rd FLOOR (S), SEWA BHAWAN, R.K.PURAM
NEW DELHI-110066
Tel. 01129583225 :
Fax: 011 29583209
Email :- wppcdte@nic.in

जल संरक्षण - सुरक्षित भविष्य

Conserve Water- Save Life